न्यायालय असि. कले.(प्र.श्रे.)/उप जिलाधिकारी बिल्हौर कानपुर नगर

वाद संख्या- 99/12 — धारा 143 ज.वि.अधि.

Institute Of Management — बनाम — सरकार

ग्राम- देवपालपुर
परगना व तहसील बिल्हौर
कानपुर नगर ।

निर्णय

प्रस्तुत वाद Institute Of Management And Technology (I.M.A.T) Chaubepur Kanpur Nagar द्वारा प्रबन्धक सत्यम द्विवेदी पुत्र श्री विनोद द्विवेदी निवासी देवपालपुर चौबेपुर परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर द्वारा अन्तर्गत धारा 143यू०पी०जेड०ए० एण्ड एल०आर०एक्ट के बावत प्रस्तुत किया है। जिसमें उल्लेख किया है कि खाता सं0 77 की गाटा सं0 229/1.116, 232/1.065, 230क/0.061 कुल तीन किता रकबा 2.2420हे0 भू0रा0 60ख स्थित ग्राम देवपालपुर परगना व तहसील बिल्हौर कानपुर नगर के नाम संक्रमणीय भूमिधर काबिज व दखील है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नही होता है। अन्त में उक्त गाटा संख्या को आकृषिक/आवासीय घोषित किये जाने की याचना की है।

संदर्भित प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार बिल्हौर से करायी गयी। तहसीलदार बिल्हौर ने अपनी जांच आख्या दिनांक 30.05.2012 मे उल्लेख किया है कि ग्राम देवपालपुर की खाता सं0 77 की गाटा सं0 229/1.116, 232/1.065, 230क/0.061 कुल तीन किता रकबा 2.2420हे0 भू0रा0 93.85 वर्तमान अभिलेखो मे Institute Of Management And Technology (I.M.A.T) Chaubepur Kanpur Nagar द्वारा प्रबन्धक सत्यम द्विवेदी पुत्र श्री विनोद द्विवेदी निवासी देवपालपुर चौबेपुर परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर के नाम संक्रमणीय भूमिधर अभिलेखों में दर्ज कागजात है। वर्तमान मे उक्त भूमि पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है। तथा उक्त भूमि को आकृषिक/औद्योगिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध खतौनी 1415फ से 1420फ, आकार पत्र 41 व 45 व खसरा सन 1419फ, नजरी नक्शा एवं तहसीलदार बिल्हौर की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि धारा 132 की भूमि नही है न्यायहित मे तहसीलदार बिल्हौर की आख्या 30.05.2012 स्वीकार की जाती है।

आदेश

अतः ग्राम देवपालपुर की खाता सं0 77 की गाटा सं0 229/1.116, 232/1.065, 230क/0.061 कुल तीन किता रकबा 2.2420हे0 भू0रा0 93.85 मे Institute Of Management And Technology (I.M.A.T) Chaubepur Kanpur Nagar निवासी देवपालपुर चौबेपुर परगना व तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर नगर धारा 143 के अन्तर्गत आकृषिक/औद्योगिक घोषित की जाती है। आदेश की प्रति उपनिबंधक बिल्हौर को प्रेषित। परवाना अमल दरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक

3/8/12

असि.कले.(प्र.श्रे.)/उप जिलाधिकारी
बिल्हौर कानपुर नगर ।

Sl No, 330
Date of Application
Name of Applicant
Date of Preparation
Date of Delivery
Cost

TRUE COPY